HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12881/2026
CNR: RJHC020787322026 | URN: CRLMB / 23735U / 2026

Jahid @ Munchhal S/o Ismail @ Idris, Aged About 23 Years, R/o Hathiyaka, Police Station Barsana, District Mathura, U.p. (At Present Petitioner Is Confined In Sub Jail Kishangarhbas, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Banvari Lal Saini
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

27/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना किशनगढ़बास, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 588/2016 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 342, 395, 397, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 10 से 15 व्यक्तियों द्वारा वाहन में चढ़कर डकैती कारित करना बताया गया है। उनका तर्क है कि वर्ष 2018 में पांच सहअभियुक्तगण के संबंध में विचारण चला था, उन सभी को दोषमुक्त किया जा चुका है, क्योंकि स्वयं परिवादी पक्षद्रोही हो गया था और उसने यह प्रकट किया था कि वह किसी भी अपराध कारित करने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान सकता है। उनक तर्क है कि उसके पश्चात् वर्ष 2023 में आस मोहम्मद नामक सहअभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ था, जिसे न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त कर दिया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है।

उनका तर्क है कि वर्ष 2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जिसमें प्रार्थी के संबंध में अनुसंधान लंबित रखा गया था, अब तितम्बा आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 11.07.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरुद्ध पूर्व के चार आपराधिक प्रकरण संस्थित है, जिसमें से दो में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन में चढ़ने तथा डकैती करने के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के इसी प्रकृति के चार आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से दो प्रकरण अभी लंबित हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन में चढ़ने और डकैती कारित करने के अभियोग हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2016 की है, जिसमें प्रार्थी–अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। प्रकरण में संलिप्त अन्य पांच सहअभियुक्तगण (कुर्शीद, अकबर, अलीम, इकराम, हारून) के खिलाफ विचारण चला था, उन सभी को विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है, क्योंकि परिवादी ने स्वयं कहा था कि वह किसी भी अभियुक्त, जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है और घटना कारित करने वालों को नहीं पहचान सकता है। प्रकरण में संलिप्त अन्य सहअभियुक्त आस मोहम्मद को भी इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में संस्थित चार प्रकरणों में से दो में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में तितम्बा आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी दिनांक 21.02.2025 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले

में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

70/NIMIT GOYAL